न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

अर्जुनसिंह पुत्र ओटसिंह जी राजपूत, जाति- राजपूत, निवासी-बडगांव, तहसील- शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 25/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 17 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 बाबत ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, मौके पर की गई काश्त को नीलामी हेतु कब्जे राज लेने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिचारी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, फसल नीलाम करने व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया है कि अपीलार्थी ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत जारी नोटिस का जवाब देने से इनकार नही किया है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही तारीख पेशी 11.11.2019 को निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के बयान अपीलार्थी के उपस्थित में नही लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट में खसरा संख्या 840/6 का उल्लेख एवं इसी खसरा की 6 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना दर्शाया है, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में खसरा संख्या 840/6 का उल्लेख नही है। जिससे यह स्पष्ट है कि खसरा

....पेज दो पर

संख्या 840 में खसरा संख्या 840/6 का स्थान कौनसा है के स्पष्ट रुप के अभाव में पारित निर्णय विधि विरुद्ध है। यह कि अपीलार्थी भूमिहीन कृषक है उसके परिवार में छः पुत्र है एवं अपीलार्थी का परिवार खेती पर निर्भर है, अपीलार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा है जिससे अपीलार्थी विवादित भूमि को भू आवंटन नियमों के नियम 20 के तहत अपने नाम से नियमन कराने का अधिकारी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलार्थी अनपड़, गरीब एवं अन्य पिछडा वर्ग का काश्तकार है जिसके पास खेती के अलावा अन्य कोई जरिया नही है, जिससे अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने का निर्णय न्याय संगत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साईलोस्टाइल प्रफोर्मा निर्णय पारित किया है, वह भी विधि विरुद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई तिथि 11.11.2019 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जवाब एवं बचाव में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शें में खसरा संख्या 840 में खसरा संख्या 840/6 किस स्थान पर वह नही दर्शाया है अर्थात् अतिक्रमित भूमि किस स्थान पर वह नही दर्शाया है, जो उचित नही है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 840 में खसरा संख्या 840/6 किस स्थान पर है का नजरी नक्शें में स्पष्ट रुप से अंकन करे एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 11:39:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: